कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, इलाहाबाद

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0-01/अ0अ0/2017-18

महामहिम राज्यपाल,उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु आनलाईन http://etender.up.nic.in के माध्यम से टेक्निकल एवं फाइनेंशियल बिड सिंचाई विभाग में वर्गीकृत सिविलश्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 15.07.2017 तक अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। जो दिनांक 17.07.2017 को अपरान्ह 1.00 बजे मुख्य अभियन्ता(सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा गठित समिति के समक्ष आनलाईन खोली जायेगी। बिड दिनांक 11.07.2017 को 12.00 बजे अपरान्ह से डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है। कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	जनपद इलाहाबाद में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, नैनी के मिट्टी के क्षतिग्रस्त बन्ध के 800.00 मीटर से 1000.00 मीटर के मध्य पुर्नस्थापना का कार्य एवं बन्ध के अवशेष भाग पर बोल्डर पिचिंग का कार्य।	38.50	3.85	750.00	03 माह	बी एवं उच्च श्रेणी

नियम एवं शर्ते :-

1. यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट http://etender.up.nic.in सूचना विभाग की वेबसाईट http://information.up.nic.in/ तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट http://irrigation.up.nic.in/ पर भी उपलब्ध है।
2. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र,जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण (IDT-2) स्वघोषणा शपथ-पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेखों की स्केण्ड प्रति वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तथा निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वेवसाईट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,बाढ़ कार्य खण्ड,इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेगें।
3. इस निविदा की विस्तृत शर्ते उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट http://etender.up.nic.in सूचना विभाग की वेबसाईट http://information.up.nic.in/ तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट http://irrigation.up.nic.in/ पर भी उपलब्ध है।
4. Technical Evolution will be done manually and result will be upload online. Financial bid will be accepted only for those bidders who will qualify in the technical bid. Financial bidding result will be online.
5. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई-टेण्डरिंग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से ई-टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
6. निविदादाता को टेण्डर सेल धनराशि वैट सहित अधिशासी अभियन्ता,बाढ़ कार्य खण्ड,इलाहाबाद के नाम डिमांड ड्राफ्ट तथा IDT-1, IDT-2,IDT-3 निर्धारित श्रेणी का प्रमाण-पत्र,टर्नओवर के मूल प्रमाण-पत्र कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड,इलाहाबाद में दिनांक 15.07.2017 को सायं 4.00 बजे तक जमा करने होंगे, अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुये कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त प्रमाण-पत्रों एवं अन्य सूचनाओं की स्कैन्ड कापी भी बिड के साथ ई-टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(अ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष की अधिकृत (चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित) बैलेन्स शीट जिसका टर्न ओवर इस कार्य के अनुमानित लागत से कम का न हो का प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) ठेकेदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न फार्म–ई के अनुसार संयत्र एवं उपकरण उसके पास उपलब्ध है। इन सभी संयत्र एवं उपकरणों के फर्म के नाम ओनरशिप हो या उस कार्य अवधि के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट होना आवश्यक है।

7. धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत केवल एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता,बाढ़ कार्य खण्ड,इलाहाबाद के नाम/पक्ष में बंधक तथा इलाहाबाद में देय होना अनिवार्य है। जिसकी स्कैण्ड कापी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं दिनांक 15. 07.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे बजे तक मूल प्रति/एफ0डी0आर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड(Financial bid/Price bid) के साथ रू0100.00 के जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इसके पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाईन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। ठेकेदार द्वारा नियमानुसार जी0एस0टी0, आयकर, रायल्टी, लेबर सेस आदि देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी जमा करना होगा।
9. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है,जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं काई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड,इलाहाबाद से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
11. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. इस निविदा को पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
13. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।
14. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
15. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा। शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
16. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबंध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
17. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
18. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना, निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
19. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेगें तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
20. प्राप्त निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।

21. शासनदेश संख्या– 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 8.6. 2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1% से 10% तक कम होने पर 0.5% प्रति 1% की कमी पर तथा 10% से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1% की कमी पर 1% अतिरिक्त परफारमेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर राशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।

22. सभी अभिलेख की मूल प्रति निविदा खोलने समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

23. यदि किसी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरे देनें का विस्तृत विवरण मांगे। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण–दोष (मेरिट) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।

24. निविदा से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क दूरभाष संख्या एवं अन्य विवरण निम्नवत् हैः–

	Office	Phone No.	E-mail Id.
1.	Executive Engineer,Flood Works Division, Allahabad.	0532-2640020	ee.flood.alld@gmail.com

25. प्रत्येक निविदादाता को निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा उसकी सत्यापित प्रतियॉ दिंनाक 15.07.2017को अपरान्ह 4.00 बजे तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड,इलाहाबाद में जमा करना अनिवार्य होगा।

1. पिछले तीन साल का फार्म–16।
2. वैध पंजीयन की प्रति।
3. अनुभव प्रमाण–पत्र।
4. पिछले तीन वर्षो की बैलेन्स सीट।
5. जी0एस0टी0 में पंजीयन अनिवार्य।

26.उपरोक्त कार्य के निविदा खुलने के पश्चात् वर्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु न्यूनतम दर के ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार एवं क्लेम मान्य नहीं होगा।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड
इलाहाबाद